

फर्द अहकाम
(नियम 15)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री सुरेश माली	बनाम	तहसीलदार, बांसवाड़ा
-----------------	------	---------------------

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 12/2025 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2026	<p>वकील अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 सीपीसी का पेश किया। उपस्थित पक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपील तत्समय के संभागीय आयुक्त न्यायालय, बांसवाड़ा में अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है जो न्यायालय हाजा को बाद स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। यह अपील सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु अपील लौटायी जावे। राजकीय अभिभाषक भी इससे सहमत है।</p> <p>इस अपील को सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु अपील अपीलांट लौटायी जाती है।</p> <p>मिसल फैसल शुमार हो।</p>	<p>23/02/2026</p> <p>संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)</p> <p>गूम अपील केने मय फतावली प्रस लखनापुर लखनापुर 7742533339</p> <p>सुरेश 9929151670</p>